MR. CHAIRMAN: Both have read the question, Unfortunately, I have ... *(Interruptions).* Next question.

*530. [The questioner (SHRI SHAHID SIDDIQUI) was absent. For answer *vide* page 59 *infra.]*

Regularisation of post of DCGI

*531 .SHRI KHAN GHUFRAN ZAHIDI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether It is a fact that the post of Drugs Controller General of India (DCGI) has not been regularised; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The post of Drugs Controller General of India became available on 1-1-2002 for filling up on regular basis consequent on the retirement of the incumbent of the post. Since the post had been upgraded, the post could not be filled up on regular basis as the existing Recruitment Rules (RRs) could not be made operable. The revised RRs have since been referred to the Union Public Service Commission for approval. However, pending finalisation of RRs, a proposal has been sent to Department of Personnel & Training for filling up the post on *ad-hoc* basis. The senior-most officer in the hierarchy is, however, looking after the work of Drugs Controller General of India.

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी: सभापति महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें यह बताया है कि इनके पास DCG की पोस्ट 1.1.2002 से आई और इसके आखिर में यह लिखा हुआ है कि एक सीनियर अफसर इस काम को देख रहा है। मैं यह मालूम करना चाहता हूँ कि वह कब से इस काम को देख रहा है? रिटायरमेंट की बात आपने कही है, मेरी जानकारी के अनुसार 1999 में उसका सस्पेंशन हुआ। तो यह स्टेटमेंट अपने आप में सत्य से परे है। इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हैं? दूसरा सवाल यह है कि...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: दूसरा नहीं पहला ही पूछ लीजिए।

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी: यह सवाल इसी में है कि जो स्पूरियस ड्रग्स को कंट्रोल करने वाला है, वह कंटोलर ही जब रेगुलर पोस्ट पर नहीं है तो how can he effectively work for that purpose?

श्री सभापति: आप चाहते हैं कि रेगुलर पोस्ट बन जाए।

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी: जाहिर है कि रेगुलर पोस्ट पर होना चाहिए। वह 4 साल से रेगुलर पोस्ट पर नहीं आ पा रहा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज:सभापति जी, उत्तर बहुत ही स्पष्ट है कि यह पोस्ट 1.1.2002 को आई लेकिन दसके बाद अपग्रेड कर दी गई और जो वर्तमान रिक्रुटमेंट रुल्स हैं, उनके मुताबिक अपग्रेड पोस्ट भरी नहीं जा सकती। इसलिए हमने DOPT को लिखा और UPSC को अमेंडमेंट रिक्रूटमेंट रुल्स एप्रूवल के लिए दिए। जब तक ये एप्रूव होकर न आएं, तब तक हमने DOPT को कहा कि कम से कम हमें एड-हॉक बेसिस पर यह पोस्ट भरने की इज़ाजत दो। वह सीनियर अफसर केवल इसको देख रहा है यानी ऑफिशियेट कर रहा है। लेकिन हमने DOPT को लिखा है कि जब तक अमेंडमेंट रिक्रूटमेंट रुल्स एप्रूव होकर नहीं आते, तब तक हमें एड-हॉक बेसिस पर यह पोस्ट भरने की इजाजत दी जाए। हमने अमेंडेंड रिक्रूटमेंट रुल्स, UPSC को एप्रूवल के लिए भेजे हुए हैं। इसलिए इसमें कहीं भी हमने कोई अस्पष्टता नहीं है।

श्री खान गुफरान जाहिदी: मेरा निवेदन यह है कि अस्पष्टता इसलिए है कि 4 साल से एक ही पोस्ट पर एड-हॉक नहीं किया जा सका।एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को पत्र भेजने के बाद भी इतनी देर हो रहे हैं। सभापति जी, आप खुद देखें कि 4-4 साल तक कितने लोग टैम्प्रेरी बेसिस पर वहां काम कर रहे हैं,टैमप्ररी भर्ती होकर रिटायर भी हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि मेरे सवाल के जवाब में पिछली बार यह बताया गया था कि स्पूरियस ड्रग्स के मामले में 68 आदमियों के खिलाफ़ मुकदमें चले लेकिन आज भी फैसले नहीं हो पा रहें हैं, न क्लियरेंस हो रहा है, जाली लोगों को लाइसेंस भी दिए हैं ,ऐसी हालत में क्या माननीय मंत्री जी एड-हॉक बेसिस पर नियुक्त करने के लिए अपनी एथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगी? आपने रिक्रूटमेंट रुल्स अपग्रेड कर दिए, उनको आप जल्दी से जल्दी कब तक एप्रूव करा देंगी, यह बताएं।

श्री सभापति: जल्दी से जल्दी करिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज:सभापति जी, मैं फिर यह कहना चाहूंगी कि एड-हॉक बेसिस पर नियुक्त करने की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। आपको मालूम है कि DOPT इसको देखता है। हमने DOPT को यह लिखा है कि आप हमें इसे एड-हॉक बेसिस पर भरने की इज़ाज़त दें। UPSC को हमने एप्रूवल के लिए अमेंडेड रिक्रूटमेंट रुल्स भेजे ही हुए हैं।

श्री सभापति: वह आप बता चुकी हैं।

DR. KARAN SINGH: The Drugs Controller General of India is a very critical and crucial post because he is overall incharge of ensuring standards and ensuring that the whole drug industry is functioning properly.

This is a classical instance of bureaucracy having gone berserk. The man had retired on 1-1-2002. You knew that he was going to retire. It was not that you did not know that he was going to retire. Just because you upgraded the post, does it mean that you should keep the post vacant? You should have got somebody in immediately. It is 16 months since he has retired. A critical post like the DCGI has still not been filled up on permanent basis. This is a very poor reflection, I am sorry to say, on the functioning of the Ministry. I am surprised that our dynamic Minister is net taking more stringent steps in this matter. I am sorry, it is not acceptable.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, पहले तो मैं यह बता दूँ कि पोस्ट खाली नहीं है, मतलब कि कोई कहे कि वहां काम नहीं कर रहा है, मैंने लिखित उत्तर में कहा है कि वहां सीनियर मोस्ट आफिसर काम कर रहा है। जहां तक सवाल है मेरे डॉयनेमिज्म का, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी कि जो ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपका मतलब है कि आप डॉयनेमिक हैं, इस प्रोब्लम को जल्दी से जल्दी सोल्व करें, बस।

श्रीमती सुषमा स्वराज:जो काम डी.ओ.पी.टी. का वह हैल्थ मिनिस्ट्री नहीं कर सकती।

Court cases fought by AIIMS

*532. SHRI H. K. JAVARE GOWDA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of court cases fought by the All India Institute of Medical Sciences in the last three years;

(b) the total legal expenses incurred by AIIMS during the last three years; and

(c) the details of service-related matters pending in the court?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The AIIMS has fought 412 cases in various Courts during the last 3 years. This figure includes 241 court cases which are still pending.